# न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
## पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी

राजस्व अपील संख्या 522/2017

| अपीलाण्ट्स | बनाम | रेस्पोन्डेन्ट |
|---|---|---|
| श्रीमती अणची पत्नी मुकनाराम<br>जाति जाट निवासी बिंजारिया<br>बावडी तहसील तिंवरी जिला<br>जोधपुर | | 1– तेजाराम पुत्र फुसाराम<br>2– रूपाराम पुत्र मूलाराम<br>3– चूनाराम पुत्र मूलाराम<br>4– सारोदेवी पत्नी मूलाराम<br>5– सरोज पुत्री किशनाराम<br>6– सुशीला पुत्री किशनाराम<br>7– लोकेश पुत्र किशनाराम<br>प्रत्यर्थी संख्या 5 से 7 नाबालिग<br>जरिये कुदरती वली माता<br>मोहनीदेवी पत्नी किशनाराम<br>8– मोहनीदेवी पत्नी किशनाराम जाति<br>जाट निवासी बिंजारिया बावडी<br>तहसील तिवंरी जिला जोधपुर<br>9– सरपंच ग्राम पंचायत गगाडी<br>पंचायत समिति ओसियां<br>जिला जोधपुर |

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 12–7–2016 जो उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा राजस्व अपील संख्या 10/2015 अनवान श्रीमती अणची बनाम तेजाराम वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री रोशनलाल विश्नोई अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।

2– श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 3 की ओर से ।

## निर्णय

दिनांक 2–5–2018

इस अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बीजारिया बावडी के तहसील ओसियां के खसरा नंबर 594 रकबा 356 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नंबर 593 रकबा 07 बिस्वा एवं खसरा नंबर 574/3 रकबा 08 बीघा 01 बिस्वा कुल 365 बीघा 14 बिस्वा भूमि का खातेदार पुसा पुत्र चेना जाति जाट सा0 देह था । उक्त खातेदार पुसा के फोत होने पर फोतेदगी का म्युटेशन संख्या 581 उसके पुत्रो के नाम दर्ज कर सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 22–1–83 को स्वीकृत किया गया जो वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 व 2 से 4 के पिता व पति है । उक्त म्युटेशन संख्या 581 के विरूद्ध अपीलार्थियां ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील पेश की जो अधीनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन थी, उक्त अपील को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां ने लोक अदालत/केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र पांचलाखुर्द मे रखते हुए मयाद के बिन्दु पर दिनांक 12–7–2016 को खारीज कर दी । जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

वकील पक्षकारान उपस्थित है । वकील अपीलार्थियां ने अपील मीमो मे वर्णित

तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे प्रत्यर्थीगण की ओर से धारा 5 मयाद अधिनियम का कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपील को मयाद बाहर मानकर खारीज करने मे विधिक भूल की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलार्थियां ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दोनो पक्षकारो की अनुपस्थिति मे उनके सुनवाई का अवसर दिये बिना पत्रावली को लोक अदालत केम्प मे ले जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो लोक अदालत की भावना के विपरीत जाकर पारित किया हुआ आदेश होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलार्थियां ने कथन किया कि अपीलाधीन भूमि के संबंध मे भरे जाकर स्वीकृत किये गये म्युटेशन मे अपीलार्थियां के पति का नाम दर्ज नही किया जबकि अपीलार्थियां उसके ससुर के खातेदारी की भूमि मे उसके पति के फोत होने के बाद प्रथम श्रेणी की वारिस होने से विधिविरूद्ध स्वीकृत नामांतरकरण के विरूद्ध जानकारी होने पर प्रस्तुत अपील को खारीज करने मे विधिक भूल की है, जो निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12–7–2016 एवं अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 581 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय का समर्थन करते हुए अपनी बहस के दौरान फार्म नंबर 3 के सलंग्न निर्वाचन नामावली वर्ष 2014 ग्राम पण्डितजी की ढाणी की फोटो प्रति प्रस्तुत की जिसके क्र.संख्या 136 पर अणचीदेवी के पति का नाम भेराराम अंकित है अर्थात अपीलार्थियां भेराराम की पत्नी है न कि मुकनाराम की पत्नी ।

रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलार्थियां यदि स्वयं को मुकनाराम की पत्नी तथा मृतक खातेदार फुसाराम की पुत्रवधु होना मानती है तो इतने वर्षो तक उसके द्वारा कोई कार्यवाही क्यो नही की, अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की अपील को मयाद के बिन्दु पर ही खारीज की है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात, रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा फार्म नंबर 3 के सलंग्न प्रस्तुत दस्तावेजो का भी अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 581 ग्राम बीजारिया बावडी जो वर्ष 1983 मे स्वीकृत हुआ था, उसके विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील को अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12–7–2016 के द्वारा उनके समक्ष 32 वर्षो के विलंब से प्रस्तुत होने के कारण अपील को मयाद बाहर मानते हुए खारीज किया है ।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थियां ने प्रथम अपील यह कथन करते

हुए पेश की कि वह मृतक खातेदार पुसा के पुत्र मुकनाराम (मृत) की पत्नी है तथा मूल खातेदार पुसा की प्रथम श्रेणी की वारिस होने का कथन किया है परंतु अपीलार्थियां ने अपने कथन की पुष्टि स्वरूप कोई दस्तावेजात पेश नही किये है जिससे यह जाहिर हो कि वह मृत मुकनाराम की पत्नी है । अपीलार्थियां के केवल मौखिक कथनो के आधार पर यह नही माना जा सकता कि वह मृत खातेदार फुसाराम की पुत्रवधु तथा स्व0 मुकनाराम पुत्र फुसाराम की पत्नी हो।

अपीलार्थियां यदि अपीलाधीन भूमि मे उसके पति स्व0 मुकनाराम का हिस्सा होने तथा पति के फोत होने पर पुत्रवधु के रूप मे अपना हिस्सा होना मानती है तो उसे अपने अधिकारो की घोषणा का वाद सक्षम न्यायालय मे पेश कर अधिकारो की घोषणा करवानी होगी, म्युटेशन की सरसरी कार्यवाही के जरिये हक–अधिकारो का निर्धारण संभव नही है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 32 वर्ष के विलंब से प्रस्तुत अपील को अंदर मयाद सुमार करने का कोई आधार नही होने से अपीलार्थियां की अपील को खारीज करने बाबत आदेश पारित किया है जिसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नही है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थियां की यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12–7–16 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 2–5–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर